राज.संवाद/सी/24/10940 अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम अजमेर

राजस्थान आवासन मण्डल

आवश्यक सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण अधिनियम 1970 के विभिन्न प्रावधानो के अन्तर्गत् पटेल नगर विस्तार, भीलवाड़ा आवासीय योजना के मण्डल कार्मिक हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2022 के तहत् शेष रहे मध्यम आय वर्ग–अ के 06, मध्यम आय वर्ग–ब के 01 एवं उच्च आय वर्ग के 02 कुल 09 सफल आवेदकों के लिये पटेल नगर सेक्टर–06, भीलवाड़ा में निर्माणाधीन मकानों के आवास नम्बर आवंटन लॉटरी तथा इसी पंजीकरण वर्ष–2022 योजना में असफल रहे आवेदकों के विकल्प/सहमति के आधार पर प्रियदर्शिनी नगर सुवाणा, भीलवाड़ा आवासीय योजना में मध्यम आयवर्ग–अ के 05, मध्यम आयवर्ग–ब के 50 एवं उच्च आय वर्ग के 19 कुल 74 सफल आवेदकों के लिये निर्माणाधीन मकानों के आवास नम्बर आवंटन लॉटरी जिला आवंटन समिति, भीलवाडा द्वारा कम्प्यूटर रेण्डम प्रणाली के माध्यम से निम्न कार्यक्रम के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त दोनों योजना के सभी सफल आवेदकों को नियमानुसार आरक्षण पत्र जारी कर तीन किस्तों में पूर्वग्रहण राशि जमा करवाने हेतु सूचित किया गया था, जिसके अनुसार पूर्वग्रहण राशि जमा उपरान्त चालानों की तृतीय प्रति मय अन्य आवश्यक दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अतः यदि कोई आवेदक मांग के अनुरुप पूर्वग्रहण राशि जमा का चालान इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है तो कृपया आक्षेप प्राप्ति दिनांक 14.02.2025 सायं 04.00 बजे तक कार्यालय आवासीय अभियंता, सी–सेक्टर, आर.के. कॉलोनी खण्ड कार्यालय भीलवाड़ा में जमा करवा देवें अन्यथा मकान नम्बर आवंटन लॉटरी में शामिल नहीं किया जावेगा तथा कोई आक्षेप स्वीकार नहीं होगा।

क्र. सं.	लॉटरी हेतु निर्धारित कार्यक्रम व स्थान	दिनांक/समय
1	योग्य/अयोग्य आवेदको की अस्थायी सूची का प्रदर्शन **(कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं बोर्ड वेबसाईट)**	07/02/2025 सायं 3.00 बजे
2	अस्थायी सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय **(कार्यालय आवासीय अभियंता, खण्ड–भीलवाड़ा)**	14/02/2025 सायं 4.00 बजे तक
3	आक्षेप प्राप्ति के बाद योग्य आवेदको की अंतिम स्थायी सूची का प्रदर्शन **(कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं बोर्ड वेबसाईट)**	17/02/2025 सायं 4.00 बजे
4	लॉटरी की कार्यवाही (जिला आवंटन समिति की बैठक) **(कार्यालय आवासीय अभियंता, खण्ड–भीलवाड़ा)**	19/02/2025 दोपहर 02.00 बजे से

नोटः– 1. यदि कोई आवदेक मांग के अनुरूप जमा चालानों की प्रति व अन्य आवश्यक दस्तावेज कार्यालय में जमा नहीं कराने पर प्रस्तावित लॉटरी से वंचित रहता है तो इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। 2. इच्छुक आवेदक निर्धारित दिनांक एवं समय पर लॉटरी कार्यक्रम में भाग ले सकते है तथा अन्य कोई भी जानकारी के लिये कार्यालय के टेलिफोन नम्बर 01482–220312, 364510 पर सम्पर्क किया जा सकता है। 3. अस्थाई सूची व स्थाई सूची एवं मकान नम्बर आवंटन लॉटरी की सूची राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाईट **www.rhb.rajasthan.gov.in** पर निर्धारित कार्यक्रमानुसार उपलब्ध रहेगी। 4. लॉटरी में अध्यक्ष, जिला आवंटन समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

राज.संवाद/सी/24/10964 **आवासीय अभियन्ता, खण्ड-भीलवाड़ा**

दैनिक भास्कर भीलवाड़ा
दि. 29/01/2025
पे. 6